

भारत को रक्षा और रोजगार के क्षेत्र में सबसे बड़ा फायदा होगा

पेज-1 से आगे

तेल अवीव, विशेष संवाददाता। इजराइल के साथ होने वाले मुक्त व्यापार समझौते से न सिर्फ दोनों देशों के बीच सामानों का द्विपक्षीय व्यापार बढ़ेगा बल्कि इससे भविष्य में रक्षा क्षेत्र में भी सहयोग मजबूत होगा। साथ ही भारत के पेशेवरों एवं प्रशिक्षित श्रमिकों

भारतीयों के लिए दोनों देशों में बढ़ते रोजगार के अवसर

भारत-इजराइल व्यापार शिखर सम्मेलन में इजराइल की कंपनियों ने भारत में निवेश करने की इच्छा जताई है। काफी कंपनियां आने वाले दिनों में समझौते भी करेंगे, लेकिन मुक्त व्यापार समझौता होने के बाद दोनों देशों की कंपनियों के लिए एक-दूसरे के यहां कारोबार करना आसान होगा। इससे भारतीयों के लिए दोनों देशों (भारत-इजराइल) में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। समझौते के बाद रक्षा, साइबर सुरक्षा, ऑटोमोबाइल इंटीग्रेसी, कृषि, वॉटर कंयूटिंग, फार्मास्यूटिकल, अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में इजराइल के निवेशकों को भारत में इजराइल के निवेशकों को भारत में इजराइल के निवेशकों को भारत में

एशिया में भारत सबसे अहम: बरकात

इजराइल के अर्थव्यवस्था मंत्री नीर बरकात ने कहा कि भारत में हमारे लिए सबसे बड़े अवसर हैं। भारतीय इंडस्ट्रियल कंपनियां इजराइल में निवेश कर

करार से बदलाव संभावित

1. बाजार पहुंच: दोनों देश मिलकर वस्तु एवं सेवाओं पर लगने वाले शुल्कों में कटौती करेंगे। सस्ती दरों में उत्पाद एवं सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित होगी।
2. निवेश: दोनों देशों की कंपनियां एक-दूसरे देश में जाकर निवेश कर

मौजूदा व्यापार

इजराइल भारत को सॉफ्टवेयर सेवाएं, हाई-टेक उत्पाद, मेडिकल उपकरण और कृषि तकनीक जैसे कई उत्पाद निर्यात करता है।
● अप्रैल, 2000 से जन. 2025 के बीच

शेयर बाजार

सेंसेक्स 85,632+446.21
नifty 26,192+139.50
// सूचना //

उभरते आर्थिक जाखम पर आरबीआई की पैनी नजर

नई दिल्ली, एजेंसी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने गुरुवार को कहा कि केंद्रीय बैंक लगातार उभरते जोखिमों और बदलती आर्थिक परिस्थितियों पर करीबी नजर रख रहा है। उन्होंने कहा कि आरबीआई की सर्वोच्च प्राथमिकता वित्तीय प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करना है।

यहां आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आरबीआई रुपये के लिए किसी विशेष स्तर को लक्ष्य नहीं बनाता। उन्होंने कहा कि हाल में डॉलर के मुकाबले रुपये में आई गिरावट का मुख्य कारण वैश्विक स्तर पर डॉलर की बढ़ती मांग है, न कि किसी तरह का घरेलू हस्तक्षेप। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक के पास विदेशी मुद्रा का 'काफी अच्छा' भंडार है और बाह्य क्षेत्र को लेकर चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है।

आठ बुनियादी उद्योगों का वृद्धि दर अक्टूबर में स्थिर रही

नई दिल्ली, एजेंसी। देश के आठ प्रमुख बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर अक्टूबर में स्थिर रही। पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों, उर्वरक और इस्पात के उत्पादन में वृद्धि का असर कोयला और बिजली उत्पादन में गिरावट से जाता रहा। गुरुवार को जारी सरकारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली। आठ प्रमुख बुनियादी उद्योगों, जिनमें कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, बिजली,

उर्वरक और इस्पात शामिल हैं, में सितंबर में 3.3 प्रतिशत और अक्टूबर 2024 में 3.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। अक्टूबर में स्थिर वृद्धि के कारण चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-अक्टूबर के दौरान आठ बुनियादी उद्योगों की संचयी वृद्धि दर 2.5 प्रतिशत पर आ गई जो एक साल पहले इसी अवधि में 4.3 प्रतिशत थी। उद्योगों का उत्पादन पिछले एक साल में पहली बार स्थिर रहा है।

सार्वजनिक सूचना

जबकि: डीएलएफ लिमिटेड निदेशक: मगर एवं ग्राम नियोजन, हरियाणा, बंजीमठ (डीटीसीपी) द्वारा प्रवृत्त लाइसेंस संख्या 219/2023 के प्रावधानों के अनुसार गुरुग्राम के सेक्टर 76 और 77 में PRIVANA नामक 116.296 एकड़ क्षेत्र में फैली NLP के तहत रेजिडेंशियल कॉलोनी, फेज 1 (Privana South) में गुप्त हाउसिंग के विकास की प्रक्रिया में कार्यरत है।

और जबकि: डीएलएफ लिमिटेड ने उपरोक्त कॉलोनी के फेज 1 (Privana South) की संशोधित भवन योजनाओं के अनुमोदन के लिए डीटीसीपी से अनुरोध किया है।

और जबकि: डीटीसीपी कार्यालय ने जापान संख्या जेडपी-1895-III/पीए(डीके) / 2025 / 43475 दिनांक 17.11.2025 के तहत संशोधित भवन योजनाओं को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित कर दिया है और उक्त संशोधन के लिए फेज 1 (Privana South) के मौजूदा आवंटियों से आपत्तियां मांगने की आवश्यकता है।

तदनुसार, इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से, फेज 1 (Privana South) के मौजूदा आवंटियों से, भवन योजनाओं में संशोधन के संबंध में आपत्तियां, यदि कोई हो तो, आमंत्रित की जाती हैं। पूर्व में स्वीकृत भवन योजनाओं और अब संशोधित किए जाने वाले प्रस्तावित भवन योजनाओं की प्रतियां हमारी वेबसाइट www.dfl.in पर अवलोकन के लिए उपलब्ध हैं। उक्त योजनाओं का अवलोकन अगोहरस्ताधरी के कार्यालय के साथ-साथ अरिच नगर निशोजक (एसटीपी), गुरुग्राम, सेक्टर 14, गुरुग्राम के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

आपत्तियों को यदि कोई आपत्ति हो, तो उसे इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, एसटीपी, गुरुग्राम के कार्यालय में, अगोहरस्ताधरी को एक प्रति सहित, प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसा न करने पर यह मान लिया जाएगा कि उक्त संशोधन पर कोई आपत्ति नहीं है।

नील गोयल
डायर डीएलएफ लिमिटेड
प्रथम तल, गेटवे टॉवर,
डीएलएफ सिटी फेज III, गुरुग्राम 122002
CIN No. L70101HR1963PLC002484
स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 21.11.2025

शेयर बाजार एक साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचा

मुंबई, एजेंसी। घरेलू शेयर बाजारों में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन प्रमुख सूचकांकों में तेजी रही और वे इस साल के नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुए। विदेशी संस्थागत निवेशकों के पूंजी प्रवाह से बीएसई सेंसेक्स 446 अंक चढ़ गया, जबकि निफ्टी 139 अंक मजबूत हुआ। दोनों सूचकांकों अपने सर्वकालिक उच्चस्तर के दोबारा करीब पहुंच गए हैं। तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 446.21 अंक चढ़कर 85,632.68 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान, यह 615.23 अंक चढ़कर 85,801.70 अंक पर पहुंच गया था। इसी तरह निफ्टी भी 139.50 अंक की बढ़त के साथ 26,192.15 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर 26,246.65 अंक पर पहुंच गया था। यह दोनों सूचकांकों का इस साल का उच्चतम स्तर है।

SWEATER JACKETS SALE

upto 60% off

By Economy Sales: 9212758425

ARROW raymond ColorPlus Levi's PARK AVENUE

- PUNCHKUAN ROAD, Garwal Bhawan, (Near Jhandewalan, Gole Chkr.)
- GURUGRAM 306, City Center, Sector 29 (Near Hotel Pilazio)
- WAZIRPUR A-5, Near Richi Rich Banquet (Opp. Shalimar Bagh)
- NOIDA, Nirula's Sec-2, Near Metro Station, Sec-15, Noida, UP
- LAJPAT NAGAR, 49, Main Ring Road, Adj. Haldi Ram, Near Moolchand Crossing

म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के एफ 2-2017/1/55 दिनांक 12/01/2018 द्वारा जारी म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अंतर्गत स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के राजपत्र क्रमांक एफ-07-2019-25 आ.प्र.-एक मध्यप्रदेश लोक सेवा अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन 1994) की धारा 13 द्वारा प्रवृत्त 2019-25 आ.प्र.-एक मध्यप्रदेश लोक सेवा अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन 1994) की धारा 13 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद् द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) नियम, 1998 में संशोधन दिनांक 19/08/2019 के अनुसार, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालयों में सहायक प्राध्यापक के निम्नलिखित विषयों में रिक्त रहे पदों को शासन / एम.सी.आई (एन.एम.सी.) द्वारा निहित अर्हताएं पूर्ण करते हों एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अध्याधीन, राज्य स्तरीय रोस्टर का पालन करते हुए सीधी भर्ती द्वारा किया जाना है। रिक्त पदों हेतु पात्रता धारी योग्य उम्मीदवारों से आवेदन अधिष्ठाता कार्यालय चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर म.प्र. 482003 में आमंत्रित किये जाते हैं।
आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 24/12/2025 सायं 05:30 बजे तक।

ASSISTANT PROFESSOR						
S.No.	Name of Subject	UR	EWS	OBC	ST	SC
1.	Biochemistry	-	-	-	1(B)	-
2.	Gen. Medicine	-	-	1(B)	-	-
3.	General Surgery	-	1	1(B)*	-	1
4.	Obst. & Gynaecology (1 Post Antinatal Medical Officer)	-	-	-	1(B)	-
5.	Orthopedics	-	-	-	1(B)	-
6.	Radio Diagnosis	-	-	-	1(B)	-
7.	Microbiology	-	-	-	-	-
8.	Radiology (SCI)	1	-	1	-	-
	Nuclear Medicine	-	-	1	-	-
	Medical Physics	1	-	1	-	-
9.	Medical Oncology (SCI)	1	-	-	-	-
10.	Plastic Surgery (SCI)	-	-	1	-	-
11.	Surgical Oncology (SCI)	-	-	-	-	-
TOTAL		04	01	06	04	01

उपरोक्त चिह्नित पदों में SC = अनुसूचित जाति, ST = अनुसूचित जनजाति, OBC = अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS = आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग उम्मीदवार हेतु आरक्षित है।
नोट :- 1. आवश्यकतानुसार पदों की संख्या घटावी/बढ़ावी जा सकती है।
2. विस्तृत जानकारी एवं आवेदन का प्रारूप चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाइट www.nscbmco.ac.in पर उपलब्ध है।
3. आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से स्वशासी नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में जमा कराये जा सकते हैं। आवेदन पत्र पूरा प्रति में ही स्वीकार किये जावेंगे।
4. शैक्षणिक संवर्ग हेतु आवेदन पर विभाग का नाम तथा आवेदित पद का नाम और आरक्षण रोस्टर अनुसार किस वर्ग का आवेदक है, और किस वर्ग के रिक्त पद पर आवेदन करता है, उल्लेख अनिवार्य रूप से करें।
5. विज्ञापित पदों के आरक्षण एवं नियुक्ति संबंधी समीचन नियमों एवं भविष्य में नियुक्तियों के संबंध में अन्यथा लिये गए शासकीय निर्णय के अधीन नियुक्ति रहेंगी एवं अभ्यर्थी नियुक्ति निरस्त होने की दशा में नियुक्ति के संबंध में अधिकार के रूप में मांग नहीं कर सकेंगे।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस (स्वशासी समिति) चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर

जी-21669/25 "सायबर क्राइम सुरक्षा हेल्पलाइन नं.-1930"